न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

आर्म्स अपील संख्या 03/2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
सूरज पुत्र श्री ताराचंद मेघवाल निवासी ग्राम नाडसर, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर		1. राजस्थान सरकार जरिये अभियोजक 2. जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

आर्म्स अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुध अधिनियम, 1959 आयुध नियम 2016, विरूद्ध आदेश जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर क्रमांकः न्यायिक/शस्त्र/2021/521 दिनांक 16.4.21 द्वारा प्रार्थी का शस्त्र 12 बोर गन का नवीन अनुज्ञापत्र का आवेदन खारिज करने बाबत।

उपस्थिति–
1. श्री मोहनलाल जयपाल अपीलांट अधिवक्ता एवं अपीलांट स्वयं
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता राज्य पक्ष की ओर से।

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

निर्णय

दिनांक 8 .02.2023

1. प्रस्तुत आर्म्स अपील प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष शस्त्र 12 बोर गन का नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए दिनांक 2.5.17 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसे जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर ने अपने आदेश क्रमांकः एफ.2(1) न्यायिक/शस्त्र/2019/1383 दिनांक 01.08.2019 द्वारा खारीज कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दर्ज आर्म्स अपील सं0 06/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.01.2021 द्वारा अधीनस्थ कार्यालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.8.19 को निरस्त कर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को अपीलांट के आवेदन में अंकित तथ्यों/कारणों का विधिवत आंकलन कर गुणावगुण पर पुनः स्पीकिंग आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया।
2. जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में दिनांक 22.3.21 को आवेदक की व्यक्तिगत सुनवाई कर प्रार्थी के आत्मरक्षा व खेत की रखवाली हेतु हथियार रखने

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

व जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण की पूर्व रिपोर्ट कमांक 3154 दिनांक 31.5.17 के संलग्न थानाधिकारी पुलिस थाना भोपालगढ की पूर्ववर्ती सत्यापन रिपोर्ट के बिन्दु सं. 13 के अनुसार आवेदक ने जान से मारने की धमकी के संबंध में कोई शिकायत रजिस्टर्ड नही होने तथा आवेदन में भी जान को गंभीर खतरे के संबंध में कोई साक्ष्य/दस्तावेज संलग्न नही होने के कारण अपने आदेश कमांक 521 दिनांक 16.4.21 द्वारा प्रार्थी का आवेदन पुनः खारीज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा पुनः उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

4. हमने दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान सुनवाई अपीलान्ट ने लिखित बहस प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलार्थी पेशे से कृषक है, ग्राम नाडासर में उसका खेतीबाड़ी का कार्य है। अपीलार्थी को कई बार बड़ी रकम लेकर शहर आना–जाना पड़ता है और मवेशियों एवं अन्य जानवरों से रक्षा करनी पड़ती है। इसलिए उसने श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर के समक्ष 12 बोर गन अग्नि आयुध की नवीन अनुज्ञा हेतु आवेदन किया गया था। आवेदन की सम्यक जांच में पुलिस अधीक्षक जोधपुर (ग्रामीण), उप वन सरंक्षक, वन्य जीव, जोधपुर से प्रार्थी के पक्ष में सकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके बावजूद अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर प्रथम) जोधपुर द्वारा अपने संक्षिप्त आदेश दिनांक 1.8.19 द्वारा आवेदन खारीज कर दिया गया। इसके विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दर्ज अपील संख्या 06/2019 में पारित निर्णय दिनांक 19.1.21 द्वारा अपीलार्थी का आवेदन गुणावगुण पर निस्तारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था, इसके उपरांत उक्त आवेदन अपीलाधीन दिनांक 16.4.21 द्वारा खारीज कर दिया गया। अधीनस्थ कार्यालय द्वारा प्रार्थी का आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलार्थी की जान को खतरा होने संबंधी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नही है। वास्तव में अपीलार्थी द्वारा स्वयं की जान को खतरा होने संबंधित कोई उल्लेख आवेदन में नही किया गया था। उसने आत्मरक्षा एवं कृषि कार्यो में मवेशी व

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

फसलों को जंगली जानवरो से सुरक्षा हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यकता व्यक्त की थी। अधीनस्थ कार्यालय द्वारा उक्त तथ्य की पूर्णतया अनदेखी की गई है, जबकि अपीलार्थी शारीरिक व मानसिक रूप से शस्त्र रखने में सक्षम व प्रशिक्षण प्राप्त है। इस संबंध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा S.B.Civil Writ No. 4652/2016 Bheema Ram Vs State में पारित निर्णय में स्पष्ट किया है कि साधारणतया पुलिस अधीक्षक की समारात्मक रिपोर्ट को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु स्वीकार कर लिया जाना चाहिए, प्रार्थी का यह मामला इस नजीर पर कायम उतरता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर, अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

5. राजकीय अधिवक्ता ने प्रत्युत्तर में यह निवेदन किया कि प्रकरण में श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (शहर प्रथम) जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है, तथापि प्रकट तथ्यों के अनुसार विधि अनुकूल निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

6. हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों पर मनन किया एवं अपील में वर्णित तथ्यों तथा अपर जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा प्रेषित विभागीय पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रकट है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आवेदन "आत्मरक्षा एवं कृषि कार्यो में मवेशी व फसलों को जंगली जानवरो से सुरक्षा हेतु" किया गया था। जिसका उल्लेख आवेदन के बिन्दु सं0 15 में उसके द्वारा किया हुआ है। यद्यपि इन बिन्दुओं में आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति के लिए आवश्यता/ अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए विशेष विचारण के लिए दावा, यदि कोई हो, उसका उल्लेख बिन्दु सं0 18 में नही किया गया है, अतः ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध नही कहा जा सकता है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा में पूर्व दर्ज आर्म्स अपील संख्या 06/2019 में पारित निर्णय 19.1.21 के कम में अधीनस्थ कार्यालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण में आवेदक–अपीलांट को दिनांक 22.3.21 को व्यक्तिगत सुनवाई करने का तथ्य भी प्रकट है। अतः इस स्थिति में अधीनस्थ कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन

न्यायालय डिविजनल कमिश्नर सत्यमेव जयते जोधपुर

डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

आदेश दिनांक 16.4.21 त्रुटीरहित है। तथापि अपीलांट द्वारा वर्तमान अपील में प्रस्तुत लिखित बहस में उल्लेखित निर्णय नजीर के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (शहर प्रथम) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट–आवेदक द्वारा प्रकट तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उसे सुनवाई का एक ओर अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करावे।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.04.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उपर्युक्त आब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 8 फरवरी, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

8/2/23

(कैलाश चन्द मीना)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर